

समूह (क)

आवेदक के पहचान हेतु निम्न में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

- 1 बी.पी.एल.
- 2 राशन कार्ड
- 3 मतदाता पहचान-पत्र
- 4 मतदाता सूची
- 5 जॉब कार्ड (मनरेगा)
- 6 विकलांगता प्रमाण-पत्र
- 7 पासपोर्ट
- 8 ड्राइविंग लाइसेन्स।
- 9 आयकर पहचान-पत्र (PAN)।
- 10 राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र।
- 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक 31.08.2010 तक खोला गया खाता।
- 12 फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र।
- 13 सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।
- 14 सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र।
- 15 फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस।
- 16 फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि ।
- 17 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश / विधवा पेंशन आदेश।
- 18 फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड।
- 19 मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी विद्यार्थी फोटो पहचान पत्र।

समूह (ख)

सेवा विशेष की प्राप्ति हेतु निम्न में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

जाति प्रमाण-पत्र

- (i) खतियान की छाया प्रति
- (ii) आवेदक या उनके परिजन* के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र।

आवासीय प्रमाण-पत्र

- (i) अद्यतन राजस्व रसीद की छाया प्रति।
- (ii) भूमिहीनों को आवंटित भूमि का पर्चा की छाया प्रति।
- (iii) राजस्व अभिलेख यथा- खतियान/ दान-पत्र/ भूमि संबंधी कागजात की छाया प्रति।
- (iv) अद्यतन विद्युत विपत्र की छाया प्रति
- (v) अद्यतन दूरभाष विपत्र की छाया प्रति
- (vi) आवेदक या उनके परिजन* के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र
- (vii) अद्यतन होल्डिंग टैक्स भुगतान का रसीद

आय प्रमाण-पत्र-

- (i) अद्यतन वेतन पर्ची की छाया प्रति।
- (ii) अद्यतन आयकर भुगतान के साक्ष्य की छाया प्रति।
- (iii) अद्यतन पेंशन पर्ची की छाया प्रति।
- (iv) आवेदक या उनके परिजन* के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र

नोट:- यदि आवेदक के पास समूह 'क' एवं 'ख' से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं हो तो वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी/ पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त तीनों प्रमाण-पत्र 'तत्काल सेवा' के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

* 'परिजन' से अभिमत है आवेदक के माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, अविवाहित बहन, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री।